प्रेस विज्ञप्ति

5/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स (समीर जोशी) के मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 31.05.2024 को नागपुर, अमरावती, अकोला, मडगांव जिलों सहित महाराष्ट्र और गोवा के अन्य क्षेत्रों में स्थित चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर जोशी, उनकी कंपनियों/फर्मों और उनके सह-आरोपी एजेंटों/सहयोगियों द्वारा अर्जित चल (फिक्स्ड डिपॉजिट) और अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत नागपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि समीर जोशी ने वासनकर मॉडल की तर्ज पर अपने एचयूएफ यानी मेसर्स श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स द्वारा प्रचारित विभिन्न योजनाओं के तहत अत्यधिक रिटर्न का वादा करके निर्दोष जनता को धोखा दिया और फंसाया। हालांकि, समीर जोशी ने झूठे आश्वासन देकर जनता को लुभाने के बाद, पूरी दुर्भावना और गलत नीयती से निवेशकों को ठगा और जनता के धन का इस्तेमाल अपने नाम/अपने परिवार के सदस्यों/व्यावसायिक संस्थाओं के नाम संपत्तियां जमा करने के लिए किया। समीर जोशी ने योजना के लाभों के बारे में झूठे और भ्रामक विज्ञापन भी दिए।

एलईए द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, कुल 1,267 निवेशकों की पहचान की गई, जिनके साथ लगभग 105.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई, जिसे आज तक अपराध की कुल आय (पीओसी) के रूप में निर्धारित किया गया था। इस मामले में, सेबी ने समीर जोशी के खिलाफ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24(1) के तहत अभियोजन शिकायत भी दायर की है।

निवेश गतिविधियों के दौरान, श्रीसूर्या समूह द्वारा विभिन्न कमीशन एजेंटों को भी नियुक्त किया गया था इसके अलावा, नए और वास्तविक निवेशकों को ठगने और उन्हें श्रीसूर्या समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश कराने के इरादे से, सह-आरोपी कमीशन एजेंटों ने अधिकतम निवेश राशि इकट्ठा करने के लिए "निवेशक सम्मेलन" का आयोजन किया। एलईए द्वारा दायर पूरक आरोपपत्रों में ऐसे 25 एजेंटों की पहचान सह-आरोपी के रूप में की गई थी और उनके द्वारा अपराध की आय (पीओसी) से प्राप्त संपत्तियों को भी ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।